

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2018—चैत्र 10, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 5458-88-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०१८

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मार्च, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २९ सन्
१९६७ का अस्थायी
रूप से संशोधित
किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्वधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २९ सन्
१९६७ की धारा २
द्वारा यथा स्थापित
मूल नियम ५६ का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, मूल नियम ५६ में, उपनियम (१) में,—

(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर "(१-क), (१-ख)," का लोप किया जाए;

(दो) दो बार आने वाले शब्द "साठ वर्ष" के स्थान पर, शब्द "बासठ वर्ष" स्थापित किए जाएं.

भोपाल :

तारीख ३१ मार्च, २०१८

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 5458-88-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.